


3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित झूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित झूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन झूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित झूडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित झूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/झूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30 प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।


15. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
16. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।
संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(राम नेवास)
विशेष सचिव।

संख्या- 152/2017/875(1)/69-1-2017, तद्विनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मुरादाबाद।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0, शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।


आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वाड़ का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	मुरादाबाद	नगर निगम मुरादाबाद	वाड़ सं0-38 के मो0 जयन्तीपुर (पीर का बाजार) में लाला राम के मकान से देवी के मकान तक व आस पास की गलियों में बबलू के मकान से कमल के मकान तक, भगवान दास के मकान से गुड्डू के मकान तक, समय सिंह के मकान से राम कपूर के मकान तक, राजपाल के मकान से राजेन्द्र के मकान तक, रामबीर के मकान से टीटू के मकान तक व संजय वाली गली तथा आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	76.58	38.29
2.	तदैव	तदैव	वाड़ सं0-38 के मो0 जयन्तीपुर (पीर का बाजार) में नासिर मिस्त्री के मकान से भूरे के मकान होते हुए शकील के मकान तक, नासिर गैस वालों से हसमत भाई के मकान तक, महमूद के मकान से हनीफ के मकान तक, फिदा हुसैन, राशिद भाई की गली व हसरत के मकान से लतीफ भाई के मकान होते हुए वाजिद के मकान तक, वसीम के मकान से नाजिम के मकान तक, वाजिद अली के मकान से असलमी मस्जिद के पास व छौआ की गली तथा आस पास की आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	63.43	31.715
3.	तदैव	तदैव	वाड़ सं0-38 के मो0 जयन्तीपुर में शिवा के मकान से चानुण्डा के मकान के आगे तक, महेश के मकान से राजू के मकान तक, मोहसिन सैनी की फर्ज से चेताराम पाल की बेर्करी तक, रूपचन्द्र, चन्द्रसैनी की गली, चन्द्रपाल के मकान से करुला नाले की पुतिया तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	60.33	30.165
4.	तदैव	तदैव	वाड़ सं0-38 के मो0 जयन्तीपुर में दानिश के मकान से राशिद मुल्ला के मकान तक, इण्डियन पेट्रोल पम्प के बराबर से अचार वालों तक, ज्वैलर्स व पीर बाजार में वैशाली ज्वैलर्स की दुकान से मो0 अनीस के घर होते हुए मो0 इसरार दरोगा जी के मकान तक व जयन्तीपुर रोड इन गैसज से मो0 साबिर के मकान तक, तिकोनिया मस्जिद रोड पर कासिम भाई के मकान से कब्रिस्तान तक, युसूफ भाई के मकान से वजीर भाई के मकान व आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	49.82	24.91
5.	तदैव	तदैव	वाड़ सं0-10 के मो0 भीमाठेर में साविया प्रधान के मकान से नूर मोहम्मद के मकान तक, जाफर के मकान से नीजार खों के मकान तक, जरदार के मकान से हनीफ के मकान तक, नवाब भाई के मकान से रहीश के आगे तक, अक्सर के मकान से दिलशाद के मकान तक, जाफिर के मकान से कादरी मस्जिद तक, शहजादा के मकान से भेन रोड तक व आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	54.74	27.37
6.	तदैव	तदैव	वाड़ सं0-10 के मो0 भीमाठेर में पप्पू के मकान से	51.58	25.79

(Handwritten Signature)

			छिटा के मकान तक, यादव जी के मकान से सोमपाल के मकान तक, सुरेन्द्र के मकान से जहीर के मकान तक, भगत जी के मकान से मुशी पाल वाली गली तक, मुल्ला के मकान से दिपक विश्वाई के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		
7.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-15 के मो0 काजीपुरा में मो0 सेन के मकान से काजीपुरा रोड तक एवं कब्रिस्तान के मुख्य सड़क तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	61.11	30.555
8.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-15 के मो0 काजीपुरा में लोधीपुर रोड पर बशीर के मकान से यासीन के मकान तक शरीफ के मकान से महेन्द्र के मकान तक, यासीन के मकान से रफीक के मकान तक व मियाँजान के मकान से धीरे के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	52.70	26.35
9.	तदैव	तदैव	वार्ड न0-26 के मो0 सूर्यनगर में रमेश के मकान से कमल सक्सेना के मकान होते हुए जयन्तीपुर रोड तक, ओ0पी0 गुप्ता के मकान से डा0 बंगाली के मकान तक, डालचन्द्र के मकान से चामुण्डा के मकान तक व आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	49.90	24.95
10.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-15 के मो0 काजीपुरा में मो0 महलवपुर रोड पर कब्रिस्तान से कबिता के मकान तक, शमशाद के मकान से कासिम के मकान तक, राजबीर के मकान से अकबर के मकान तक व खलील भाई की चक्की वाली गली, लोधीपुर रोड राजू के मकान से जयचन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	50.45	25.225
11.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-12 के मो0 धीमरी में मैनाठेर आबादी रोड पर जहीर के मकान से वाहिद के मकान तक, नबाय जॉन के मकान से जाकिर के मकान तक, साबिर के मकान से टावर वाली मस्जिद तक, असंख्या से जाकिर के मकान तक, पानी की टंकी से नौरो अली के मकान तक तथा आफताब के मकान से गली के आखिर तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	46.73	23.365
12.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-12 के मो0 धीमरी में मुख्य सड़क से इन्तजार के मकान तक एवं मुख्य सड़क से इरफान के मकान तक तथा आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	25.90	12.95
13.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-12 के मो0 धीमरी में चन्द्रसेन के मकान से जुल्फिकार के मकान इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	49.62	24.81
योग				692.89	346.445

(रुपये तीन करोड़ छियालिस लाख चौवालिस हजार पांच सौ मात्र)।


 (अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
 अनु सचिव।